अनुदान संख्या 104 - जल संसाधन मंत्रालय
GRANT No. 104 – MINISTRY OF WATER RESOURCES

			कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**				
स्वीकृत–	Voted–				
मूल	Original	1937,30,00	1937,32,00	971,08,86	-966,23,14
पूरक	Supplementary	2,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				844,63,00
पूंजीगत:	**Capital:**				
प्रभारित–	*Charged–*		*4,00,00*	*2,63,26*	*-1,36,74*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				शून्य *Nil*
स्वीकृत–	Voted–				
मूल	Original	126,30,00	126,31,00	81,86,63	-44,44,37
पूरक	Supplementary	1,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				38,30,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ :-

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
मुख्य शीर्ष "3451" सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	Major Head "3451" Secretariat-Economic Services				
मू.	O.	7528.00	7336.40	5251.38	-2085.02
पु.	R.	-191.60			
मुख्य शीर्ष "2552" उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas				
मू.	O.	14200.00	241.00	..	-241.00
पु.	R.	-13959.00			
मुख्य शीर्ष "2701" मध्यम सिंचाई	Major Head "2701" Medium Irrigation				
मू.	O.	96204.00	44309.60	40593.41	-3716.19
पू.	S.	2.00			
पु.	R.	-51896.40			
मुख्य शीर्ष "2702" लघु सिंचाई	Major Head "2702" Minor Irrigation				
मू.	O.	42099.00	29740.00	25403.53	-4336.47
पु.	R.	-12359.00			
मुख्य शीर्ष "2711" बाढ़ नियंत्रण और जल निकासी	Major Head "2711" Flood Control and Drainage				
मू.	O.	15862.00	20465.00	19205.38	-1259.62
पु.	R.	4603.00			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving- (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "3075" अन्य परिवहन सेवाएं	Major Head "3075" Other Transport Services				
मू.	O.	4979.00	5884.00	5422.31	-461.69
पु.	R.	905.00			
मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	12852.00	1287.00	1232.85	-54.15
पु.	R.	-11565.00			

(I) ₹41916.00 लाख का प्रावधान पंद्रह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से ₹41909.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(का) मुख्य शीर्ष "2552" -

(क) "बाढ़ नियंत्रण - अन्य व्यय" -

(i) "बाढ़ पूर्वानुमान" - ₹400.00 लाख;

(ii) "नदी घाटी प्रबंधन" - ₹7600.00 लाख।

(ख) "भूजल अन्वेषण - भूजल प्रबंधन और नियमन" - ₹3000.00 लाख; और

(ग) "सामान्य (मुख्य और मध्यम सिंचाई) - अन्य व्यय"-

(I) Provision of ₹41916.00 lakhs remained wholly unutilized under fifteen heads; of these ₹41909.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(A) Major Head "2552"-

(a) "Flood Control - Other Expenditure" –

(i) "Flood Forecasting"- ₹400.00 lakhs;

(ii) "River Basin Management" - ₹7600.00 lakhs;

(b) "Ground Water Investigation – Ground Water Management and Regulation" – ₹3000.00 lakhs; and

(c) "General (Major and Medium Irrigation) – Other Expenditure" –

(iii) "नदी घाटी प्रबंधन" - ₹400.00 लाख।

प्रावधान उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(iv) "जल संसाधन सूचना प्रणाली का विकास" - ₹1000.00 लाख पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और राज्य/परामर्शदात्री संस्थानों से कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण थे।

(v) "सिंचाई प्रबंधन कार्यक्रम" - ₹1000.00 लाख; और

(घ) "सामान्य (मुख्य और मध्यम सिंचाई) अनुसंधान - अनुसंधान और विकास कार्यक्रम" - ₹800.00 लाख।

प्रावधान उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत राज्य/परामर्शदात्री संस्थानों से प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(खा) मुख्य शीर्ष "2701" - "सामान्य" -

(क) "निदेशन और प्रशासन - मानव संसाधन विकास/क्षमता निर्माण" - ₹5300.00 लाख;

(ख) "जनजाति क्षेत्र उप योजना - मानव संसाधन विकास/क्षमता निर्माण" - ₹500.00 लाख;

(ग) "उचंत - राष्ट्रीय जल मिशन का क्रियान्वयन" - ₹500.00 लाख; और

(iii) "River Basin Management"- ₹400.00 lakhs.

Provisions under the above four heads remained unutilized due to re appropriation of funds to functional heads for utilization on projects/ schemes for the benefit of the North Eastern Region and Sikkim.

(iv) "Development of Water Resources Information System" – ₹1000.00 lakhs - due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilization on projects/ schemes for the benefits of North Eastern Region and Sikkim and receipt of less proposals from State/Consultant institutes.

(v) "Irrigation Management Programme" - ₹1000.00 lakhs; and

(d) "General (Major & Medium Irrigation) Research - Research and Development Programme" – ₹800.00 lakhs.

Provisions under the above two heads remained unutilized due to non-receipt of proposals from State/consultant institutes.

(B) Major Head "2701"-"General"-

(a) "Direction and Administration - Human Resources Development/Capacity Building" - ₹5300.00 lakhs;

(b) "Tribal Area Sub Plan - Human Resource Development/Capacity Building"- ₹500.00 lakhs;

(c) "Suspense – Implementation of National Water Mission"- ₹500.00 lakhs; and

(घ) "अन्य व्यय - राष्ट्रीय जल मिशन का क्रियान्वयन" - ₹19500.00 लाख।

प्रावधान उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदन प्रक्रिया पूरा न किए जाने और बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्कीम के कार्यान्वयन को मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(गा) मुख्य शीर्ष "2711" - "बाढ़ नियंत्रण - अन्य व्यय - बाढ़ पूर्वानुमान और चेतावनी केंद्रों के रख-रखाव के लिए भूटान की सरकार को अदायगी" - ₹105.00 लाख कर्मचारियों की नियुक्ति न किए जाने की वजह से बाढ़ पूर्वानुमान और चेतावनी केंद्रों के रख-रखाव के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण थे।

(घा) मुख्य शीर्ष "3601" - "योजनेतर अनुदान - मुख्य सिंचाई (गैर वाणिज्यिक) सतलुज यमुना संपर्क नहर परियोजना - सतलुज यमुना संपर्क नहर परियोजना" - ₹1804.00 लाख सतलुज यमुना संपर्क नहर के मामले में राष्ट्रपति के निर्देश पर माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय लंबित होने की वजह से संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण थे।

(II) मुख्य शीर्ष "3451" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) "सचिवालय - जल संसाधन मंत्रालय" - ₹1765.30 लाख की बचत (₹6242.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कृष्ण गंगा एच ई परियोजना पैटर्न और मात्रा अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम् प्रक्रिया की गति पर आधारित होने की वजह से कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(खा) "अन्य कार्यालय" -

(d) "Other Expenditure - Implementation of National Water Mission" – ₹19500.00 lakhs.

Provisions under the above four heads remained unutilised due to non-completion of approval process by Expenditure Finance Committee and non-approval by the Cabinet for implementation of the scheme during XIIth Five Year Plan.

(C) Major Head "2711"- "Flood Control - Other Expenditure - Payment to Govt. of Bhutan for Maintenance of Flood Forecasting and Warning Centers"- ₹105.00 lakhs - due to requirement of less funds towards maintenance of flood forecasting and warning centres owing to non-employment of staff.

(D) Major Head "3601"- "Non Plan Grants – Major Irrigation (Non Commercial) Sutlej Yamuna Link Canal Project - Sutlej Yamuna Link Canal Project" - ₹1804.00 lakhs - due to reduction of provision at revised estimates stage owing to pending decision of Hon'ble Supreme Court on Presidential reference in the matter of Satluj Yamuna link canal.

(II) Under Major Head "3451"- savings occurred under the following heads:-

(A) "Secretariat -Ministry of Water Resources"- saving of ₹1765.30 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6242.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards Kishen Ganga HE project, pattern and quantum being based on the pace of international arbitration process.

(B) "Other Offices"-

(क) “वंशधारा जल विवाद अधिकरण” - ₹131.83 लाख की बचत (₹404.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(ख) “महादायी जल विवाद अधिकरण” - ₹290.57 लाख की बचत (₹414.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

बचतें उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने, कार्यालय उपस्कर की खरीद के लिए अधिप्राप्ति प्रक्रिया का मूर्त रूप न लेने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष “2701” - “सामान्य” के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) “डाटा संग्रहण - केंद्रीय जल आयोग” - ₹338.17 लाख की बचत (₹9177.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने के कारण हुई।

(खा) “प्रशिक्षण - मानव संसाधन विकास/क्षमता निर्माण” - ₹193.11 लाख की बचत (₹500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने, कम दौरे किए जाने और कुछ कार्यकलापों का मूर्त रूप न लेने के कारण हुई।

(गा) “अनुसंधान” -

(क) “अनुसंधान और विकास कार्यक्रम” - ₹6063.40 लाख की बचत (₹9200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने और परामर्शदात्री संस्थाओं से कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(a) “Vansadhara Water Disputes Tribunal” – saving of ₹131.83 lakhs (against the sanctioned provision of ₹404.00 lakhs); and

(b) “Mahadayi Water Disputes Tribunal” - saving of ₹290.57 lakhs (against the sanctioned provision of ₹414.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance, non-materialization of procurement process for the purchase of office equipment and economy measures.

(III) Under Major Head “2701”- “General”- savings occurred under the following heads:-

(A) “Data Collection – Central Water Commission” – saving of ₹338.17 lakhs (against the sanctioned provision of ₹9177.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts.

(B) “Training – Human Resources Development/ Capacity Building”- saving of ₹193.11 lakhs (against the sanctioned provision of ₹500.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, less tours and non-materialization of some activities.

(C) “Research” –

(a) “Research and Development Programmes”- saving of ₹6063.40 lakhs (against the sanctioned provision of ₹9200.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and receipt of less proposals from the consultant institutes.

(ख) "जल विज्ञान परियोजना" - ₹3209.92 लाख की बचत (₹7000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विश्व बैंक द्वारा अनुमोदन दिए जाने में विलंब होने की वजह से विभिन्न संगठनों को सहायता अनुदान के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(घा) "अन्य व्यय" -

(क) "जल संसाधन सूचना प्रणाली का विकास" - ₹2923.87 लाख की बचत (₹6445.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) लघु सिंचाई सांख्यिकी के यौक्तिकीकरण के अंतर्गत नए घटकों का मूल्य निर्धारण न किए जाने/अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण हुई।

(ख) "अवसंरचना विकास" - ₹178.68 लाख की बचत (₹320.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संबंधित संगठनों द्वारा कार्यकलापों को शुरू न किए जाने के कारण हुई।

(ग) "बांध पुनर्वास और सुधार कार्यक्रम" - ₹2357.28 लाख की बचत (₹2400.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कुछ परियोजनाओं को व्यय वित्त समिति और मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण हुई।

(घ) "मानव संसाधन विकास/क्षमता निर्माण" - ₹1397.86 लाख की बचत (₹2200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सूचना, शिक्षा और संचार संबंधी कुछ परियोजनाओं को व्यय वित्त समिति और मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण हुई।

(ङ) "नदी घाटी प्रबंधन" - ₹4733.39 लाख की बचत (₹10600.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना

(b) "Hydrology Project"- saving of ₹3209.92 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7000.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards Grants-in-Aid to various organizations owing to delay in approval by the World Bank.

(D) "Other Expenditure"-

(a) "Development of Water Resources Information System"- saving of ₹2923.87 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6445.00 lakhs) was due to non-appraisal/non-approval of new components under Rationalization of Minor Irrigation Statistics.

(b) "Infrastructure Development"- saving of ₹178.68 lakhs (against the sanctioned provision of ₹320.00 lakhs) was due to non-undertaking of activities by the concerned organizations.

(c) "Dam Rehabilitation and Improvement Programme" - saving of ₹2357.28 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2400.00 lakhs) was due to non-approval of some projects by the Expenditure Finance Committee and cabinet.

(d) "Human Resources Development/ Capacity Building"- saving of ₹1397.86 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2200.00 lakhs) was due to non-approval of some projects relating to information, education and communication by the Expenditure Finance Committee and Cabinet.

(e) "River Basin Management"- saving of ₹4733.39 lakhs (against the sanctioned

में) केंद्रीय जल आयोग के पुनर्गठन के प्रस्ताव को मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण हुई।

provision of ₹10600.00 lakhs) was due to non-approval of proposal for restructuring of CWC by the Cabinet.

(च) "सिंचाई प्रबंधन कार्यक्रम" - ₹8975.61 लाख की बचत (₹9000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(f) "Irrigation Management Programme"- saving of ₹8975.61 lakhs (against the sanctioned provision of ₹9000.00 lakhs);

(IV) मुख्य शीर्ष "2711" - "बाढ़ नियंत्रण - अन्य व्यय" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(IV) Under Major head "2711"- "Flood Control - Other Expenditure" - savings occurred under the following heads:-

(का) "बाढ़ पूर्वानुमान" - ₹1879.41 लाख की बचत (₹4400.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(A) "Flood Forecasting"- saving of ₹1879.41 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4400.00 lakhs);

(खा) "नदी प्रबंधन कार्यकलाप और सीमा क्षेत्रों से संबंधित निर्माण कार्य" - ₹824.69 लाख की बचत (₹2500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुईं; और

(B) "River Management Activities and Works Related to Border Areas"- saving of ₹824.69 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2500.00 lakhs); and

(V) मुख्य शीर्ष "2702" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(V) Under Major Head "2702"- savings occurred under the following heads:-

(का) "सतही जल - जनजाति क्षेत्र उप योजना - भूजल प्रबंधन और विनियमन" - ₹318.54 लाख की बचत (₹1450.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(A) "Surface Water - Tribal Area Sub-plan - Ground Water Management and Regulation"- saving of ₹318.54 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1450.00 lakhs).

बचतें उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्कीम के कार्यान्वयन के लिए व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदन प्रक्रिया पूरी न किए जाने और मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण हुई।

Savings under the above four heads were due to non-completion of approval process by Expenditure Finance Committee and non-approval by the Cabinet for the implementation of the scheme during the XIIth Five Year Plan.

(खा) "भूजल -अन्वेषण" -

(B) "Ground Water - Investigation"-

(क) "भू जल प्रबंधन और विनियमन" - ₹16752.38 लाख की बचत (₹28550.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्ति और निपटान महानिदेशक द्वारा खरीद प्रक्रिया को अंतिम रूप न दिए जाने और कम अन्वेषात्मक कुओं का निर्माण किए जाने के कारण हुई।

(a) "Ground Water Management and Regulation" - saving of ₹16752.38 lakhs (against the sanctioned provision of ₹28550.00 lakhs) was due to non-finalization of purchase process by Directorate General of Supplies and

Disposals and construction of less number of exploratory wells.

(ख) "मानव संसाधन विकास/क्षमता निर्माण" - ₹890.59 लाख की बचत (₹1500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने, छुट्टी यात्रा रियायत दावे कम होने, कम विदेश दौरे किए जाने और कार्यालय उपस्कर की खरीद की अधिप्राप्ति प्रक्रिया का मूर्त रूप न लेने के कारण हुई।

(b) "Human Resources Development/ Capacity Building"- saving of ₹890.59 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1500.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, less leave travel concession claims, less foreign tours and non-materialization of procurement process for purchase of office equipment.

(VI) मुख्य शीर्ष "3601" - "कैंद्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(VI) Under Major Head "3601"- "Grants for Central Plan Schemes"- savings occured under the following heads:-

(का) "सतही जल - अन्य अनुदान - जल संसाधन सूचना प्रणाली का विकास" - ₹739.35 लाख की बचत (₹1048.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(A) "Surface Water - Other Grants – Development of Water Resources Information System"- saving of ₹739.35 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1048.00 lakhs); and

(खा) "बाढ़ नियंत्रण - अन्य अनुदान - नदी प्रबंधन कार्यकलाप और सीमा क्षेत्रों से संबंधित निर्माण कार्य" - ₹9075.80 लाख की बचत (₹10000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(B) "Flood Control - Other Grants - River Management Activities and Works Related to Border Areas" – saving of ₹9075.80 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10000.00 lakhs).

बचतें उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत राज्य सरकारों से कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

Savings under the above two heads were due to receipt of less proposals from the State Governments.

(VII) तीन शीर्षों के अंतर्गत बचतें ₹252.11 लाख की बचतें हुईं; जो प्रत्येक में ₹50.00 लाख से अधिक किंतु ₹100.00 लाख से कम और स्वीकृत प्रावधान का 27 प्रतिशत से 53 प्रतिशत तक थीं।

(VII) Under three heads savings of ₹252.11 lakhs occurred, each exceeding ₹50.00 lakhs but not exceeding ₹100.00 lakhs and constituting 27 percent to 53 percent of the sanctioned provision.

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹366.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि दिसंबर, 2012 में मुख्य शीर्ष "2701" - "सामान्य - अनुसंधान - कैंद्रीय जल और विद्युत अनुसंधान कैंद्र" के अंतर्गत ₹1.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹361.83 लाख था।

2.(I) The above savings were partly (₹366.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by reappropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹1.00 lakh in December, 2012 under Major Head "2701"—"General – Research - Central Water and Power Research Station". Actual excess, however, was ₹361.83 lakhs.

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(का) मुख्य शीर्ष “2701” - “सामान्य” -

(क) “निदेशन और प्रशासन - केंद्रीय जल आयोग” - ₹248.04 लाख का अधिक व्यय (₹2503.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(ख) “अनुसंधान - केंद्रीय मृदा और सामग्री अनुसंधान केंद्र” - ₹138.06 लाख का अधिक व्यय (₹849.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(खा) मुख्य शीर्ष “2702” - “भूजल - अन्वेषण - केंद्रीय भूजल बोर्ड” - ₹1267.04 लाख का अधिक व्यय (₹10598.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

अधिक व्यय उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत वेतन, आश्वासित करियर प्रोन्नति स्कीम के बकायों और नए पदों के सृजन के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(गा) मुख्य शीर्ष “2711” - “बाढ़ नियंत्रण - अन्य व्यय - नदी घाटी प्रबंधन - ब्रह्मपुत्र बोर्ड” - ₹6200.00 लाख का अधिक व्यय (₹1400.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष “2552” से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(घा) मुख्य शीर्ष “3075” - “नदी प्रशिक्षण कार्य - फरक्का परियोजनाएं - फरक्का वैराज” - ₹448.20 लाख का अधिक व्यय (₹4229.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल द्वारा बैराज की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-

(A) Major Head “2701” – “General” –

(a) “Direction and Administration - Central Water Commission”- excess of ₹248.04 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2503.00 lakhs);

(b) “Research - Central Soil and Materials Research Station”- excess of ₹138.06 lakhs (against the sanctioned provision of ₹849.00 lakhs); and

(B) Major Head “2702” - “Ground Water – Investigation - Central Ground Water Board” – excess of ₹1267.04 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10598.00 lakhs).

Excess under the above three heads was due to requirement of additional funds towards salaries, assured career progression scheme arrears and creation of new posts.

(C) Major Head “2711”- “Flood Control - Other Expenditure - River Basin Management - Brahmaputra Board”- excess of ₹6200.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1400.00 lakhs) was due to reappropriation of funds from Major Head “2552” to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(D) Major Head “3075”- “River Training Works - Farakka Projects - Farakka Barrage”- excess of ₹448.20 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4229.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards security of barrage by Central Industrial Security Force personnel.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग के *प्रभारित* अंश में, *₹136.74 लाख* की बचत दो शीर्षों के अंतर्गत हुई, जो प्रत्येक में *₹50.00 लाख* से अधिक और स्वीकृत *विनियोग* का 17 प्रतिशत और 86 प्रतिशत थी।

3. In the *charged* portion of the capital section of the grant, savings of *₹136.74 lakhs* occurred under two heads, each exceeding *₹50.00 lakhs* and constituting 17 percent and 86 percent of the sanctioned *appropriation*.

4. अनुदान के पूंजीगत भाग के स्वीकृत अंश में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

4. In the voted portion of the capital section of the grant, savings occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving- (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "4552" उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4552" Capital Outlay on North Eastern Areas					
मू.	O.	800.00		330.00	..	-330.00
पु.	R.	-470.00				
मुख्य शीर्ष "4702" लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4702" Capital Outlay on Minor Irrigation					
मू.	O.	3380.00		363.00	345.05	-17.95
पु.	R.	-3017.00				
मुख्य शीर्ष "4711" बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4711" Capital Outlay on Flood Control Projects					
मू.	O.	1000.00		657.00	499.34	-157.66
पु.	R.	-343.00				

(I) ₹850.00 लाख का प्रावधान तीन शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से ₹800.00 लाख मुख्य शीर्ष "4552" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(I) Provision of ₹850.00 lakhs remained wholly unutilized under three heads; of these ₹800.00 lakhs accounted for under Major Head "4552" under the following heads:-

(का) "लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय - भू-जल - अवसंरचना विकास" - ₹600.00 लाख राज्य/परामर्शदात्री संस्थानों से प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण थे।

(A) "Capital Outlay on Minor Irrigation – Ground Water– Infrastructure Development" – ₹600.00 lakhs - due to non-receipt of proposals from State/ Consultant institutes.

(खा) "बाढ़ नियंत्रण के लिए पूंजीगत परिव्यय - अन्य व्यय - अवसंरचना विकास" - ₹200.00 लाख पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण थे।

(B) "Capital Outlay for Flood Control - Other Expenditure - Infrastructure Development" – ₹200.00 lakhs - due to re-appropriation of funds to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(II) मुख्य शीर्ष "4702" - "भू जल - अवसंरचना विकास" के अंतर्गत ₹3034.95 लाख की बचत (₹3380.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्कीम के कार्यान्वयन के लिए वित्त व्यय समिति द्वारा अनुमोदन प्रक्रिया पूरी न किए जाने और मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "4702" - "Ground Water – Infrastructure Development" –saving of ₹3034.95 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3380.00 lakhs) was due to non-completion of approval process by Expenditure Finance Committee and non-approval by the Cabinet for implementation of the scheme during XIIth Five Year Plan.

(III) मुख्य शीर्ष "4711" - "बाढ़ नियंत्रण - अन्य व्यय - अवसंरचना विकास" के अंतर्गत ₹500.66 लाख की बचत (₹1000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा आकलन प्रस्तुत न किए जाने की वजह से परियोजनाएं पूरी न होने के कारण हुई।

(III) Under Major Head "4711" – "Flood Control – Other Expenditure – Infrastructure Development" – saving of ₹500.66 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1000.00 lakhs) was due to non-completion of projects owing to non-submission of estimates by Central Public Works Department.